IV 15/2017

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 327090

ट्रस्ट डीड

स्टाम्प शुल्क अंकन – 800/– रूपये

मैं **राकेश कुमार द्विवेदी पुत्र श्री राम सुमेर द्विवेदी** निवासी ग्राम – **पूरे धाराधरी दूबे, मजरें– दलीलपुर, पोस्ट– रेसी, तहसील– गौरीगंज, जनपद– अमेठी** का हूँ, जिन्हे आगे व्यवस्थापक/न्यासी कहा गया है। व्यस्थापक की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिए व्यवस्थापक ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 11000/– रूपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी है तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है, के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते है और व्यवस्थापक ने उक्त राशि अंकन 11000/– रूपये को इस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासी रखेंगें। उक्त ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नही है। उक्त व्यवस्थापक ने उक्त ट्रस्ट का प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है और इस

—— 2 पर

राकेश द्विवेदी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA INDIA NON JUDICIAL

सिविल लाइंस से निर्गत 25 JUL 2017 अमेठी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CY 327091

विलेख का निष्पादन कर रहे है। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते है और घोषणा करते है कि :–

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम– **श्री राम सुमेर द्विवेदी शैक्षिक एवं सामाजिक कल्याण ट्रस्ट,** – ग्राम व पोस्ट– जामों, तहसील– गौरीगंज, जनपद– अमेठी (उ0प्र0) **(Sri Ram Sumer Dwivedi Shaikshik Evam Samajik Kalyan Trust, - Vill. & Post- Jamon, Teh.- Gauriganj, Distt.- Amethi (U.P.))** है।
2. यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय **ग्राम व पोस्ट– जामों, तहसील– गौरीगंज, जनपद– अमेठी** उत्तर प्रदेश होगा व शाखा कार्यालय के सम्बन्ध में ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थापित कर सकते है।
3. यह कि ट्रस्टी उक्त राशि अंकन 11000/– रूपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद राशि, निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टी को समय–समय पर प्राप्त हो, को धारण करेगें तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टी आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेगें।

—— 3 पर

रामवती द्विवेदी

100) प्रति

25-12-17

यास पत्र

11,000.00	220.00	80	300.00	30
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री राकेश कुमार द्विवेदी

पुत्र श्री राम सुमेर द्विवेदी

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी पूरे धाराधरी दुबे म0दलीलपुर पो0रेसी त0गौरीगंज जि0 अमेठी

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 25/8/2017 समय 4:16PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के ह

राकेश कुमार सिंह

उप-निबन्धक

गौरीगंज

25/8/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री राकेश कुमार द्विवेदी

पुत्र श्री राम सुमेर द्विवेदी

पेशा कृषि

निवासी पूरे धाराधरी दुबे म0दलीलपुर पो0रेसी

त0गौरीगंज जि0 अमेठी

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान शिव कुमार पाण्डेय

ब्रम्हदत्त पाण्डेय

पेशा कृषि

निवासी मनीपुर म0बाहापुर त0गौरीगंज जि0 अमेठी

व तेजभान मिश्र

सियाराम मिश्र

पेशा कृषि

निवासी पूर दत्त पूरे फाजिल म0गौरीगंज जि0 अमेठी

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है ।

प्रथम पक्ष व गवाह 2 का आधार कार्ड व गवाह 1 का आई0कार्ड संलग्न है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के

राकेश कुमार सिंह

उप-निबन्धक

गौरीगंज

25/8/2017

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 327092

(3)

4. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड तथा ट्रस्ट पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेगें तथा न्यासीगण के समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यासीगण को समय–समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं व विभागों से करने का पूर्ण अधिक्रार होगा।

6. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते है।

ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्य :–

1) मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना करना व संचालन करना।

2) इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना व संचालन करना।

—— 4 पर

राकेश द्विवेदी

न्यासी

Registration No.: 15 Year: 2017 Book No.: 4

0101 राकेश कुमार द्विवेदी

राम सुमेर द्विवेदी

पूरे धाराधरी दुबे म0दलीलपुर पो0रेसी त0गौरीगंज जि0 अमेठी

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
रु. 100
ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

सिविल ब्लाक से निर्गत
कोषागार अमेठी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 327093

3) कम्प्यूटर कोचिंग सेन्टर की स्थापना करना व संचालन करना।

4) बेरोजगार, जरूरतमंद व बेसहारा स्त्रियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना।

5) लड़के व लड़कियों के लिए अलग–अलग व संयुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।

6) स्कूल, कॉलेज, तकनीकी व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना, सभी प्रकार के ग्रेजुऐशन व पोस्ट ग्रेजुऐशन, प्रशिक्षण विधि प्रबन्धन व व्यवसायिक एवं विधि महाविद्यालय हेतु कॉलेजों की स्थापना करना व संचालन करना।

7) नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल (हिन्दी व इंग्लिश मीडियम) व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना।

8) शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी तरह के प्रयास करना।

9) शैक्षिक किताबों, पेपर (साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका आदि) का प्रकाशन कराना, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम तथा हॉस्टल/छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

10) सभी प्रकार की फिल्में, टेली फिल्म, फीचर फिल्म आदि का निर्माण कराना।

—— 5 पर

रोमशा द्विवेदी

गवाह

Registration No.: 15 Year : 2017 Book No. :

W1 शिव कुमार पाण्डेय

ब्रम्हदत्त पाण्डेय

मनीपुर म0बाहापुर त0गौरीगंज जि0 अमेठी

कृषि

W2 तेजभान मिश्र

सियाराम मिश्र

पूर दत्त पूरे फाजिल म0गौरीगंज जि0 अमेठी

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 327094

(5)

11) धर्मशाला, आश्रम, क्रेश, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, आध्यात्मिक, साधना एवं योगा केन्द्र तथा सभी के लिए धार्मिक स्थल बनवाना व उनकी देखभाल करना आदि उद्देश्य भी ट्रस्टीगणों के होगें।

12) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांगों तथा समाज कें सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति व सहायता समाज कल्याण विभाग व सरकार से प्राप्त करना, जरूरतमन्द छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति व सहायता देना।

13) सरकारी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नोडल संस्था के बिजनेस प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेंचाइजी कार्यालय बनाकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस प्रोवाइड करवाना।

14) समय–समय पर विभिन्न समस्याओं पर जनमानस के विचारों को जानने के लिए प्रपत्र पर प्रारूप तैयार कर उस पर सर्वे कराना।

—— 6 पर

रोमेश द्विवेदी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 327095

15) समाज के प्रत्येक वर्ग में एड्स एवं गम्भीर बीमारियों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना।

16) गंगा को प्रदूषण मुक्त कराना तथा गंगा सफाई हेतु प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार आदि से सिफारिश करना, जल बचाव सम्बन्धित कार्य करना, आम पब्लिक को जल ही जीवन है, सम्बन्धित जानकारियाँ देना।

17) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भवन निर्माण कराना तथा अन्य निर्माण कार्य आधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी द्वारा कराना।

18) अस्पताल, औषधालय, अनुसन्धानशालाओं एवं रसायनशालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।

19) प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़े और अवैध कब्जा भी न हो पाये।

20) निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिए चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।

—— 7 पर

रोमशा त्रिवेदी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BF 075086

21) स्कूल व कॉलेज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण एवं एड्स रोग के लिए जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

22) कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हे क्रय-विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना।

23) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि क्रय करना, ट्रस्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।

24) ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिये दान लेना एवं दान की रसीद देना।

25) वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो।

26) यह, कि इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा जगत के विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/वर्कशॉप आयोजित करना।

—— 8 पर

रश्मि द्विवेदी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

₹50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 075087

27) व्यक्ति, समाज व राष्ट्र में व्याप्त मानसिक प्रदूषण को दूर करने हेतु आध्यात्मिक कार्यशाला, ध्यान व योग शिक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु योग शिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।

28) समय–समय पर संचालित/प्रसारित राज्य अथवा केन्द्र सरकार के कौशल विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों में सहभागिता देकर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना व संचालन करना।

29) मेक–इन–इण्डिया, डिजिटल इण्टिया, कैशलेस सोसाइटी व अन्य राष्ट्रीय/प्रान्तीय सरकारी लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को मूर्तरूप देने हेतु केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना व संचालन करना।

30) राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित भावी कार्यक्रमों के संवर्धन–संचालन हेतु व्यवस्था देना व कार्यक्रमों का संचालन करना।

राकेश द्विवेदी

—— 9 पर

भारतीय गैर न्यायिक
पचास रुपये
Rs. 50
भारत
सत्यमेव जयते
INDIA
FIFTY RUPEES
Rs. 50
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 075088

कार्य क्षेत्र :–

7. यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण 'भारत' होगा।

ट्रस्टीगण के अधिकार, कर्तव्य एवं नियुक्तियॉ :–

8. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्‌देश्यों के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे की ट्रस्टीगण उचित समझे, उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते है।

10. यह कि व्यवस्थापकों/ट्रस्टीयों ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष व सचिव नियुक्त कर लिया है। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा जबकि अन्य पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

— 10 पर

रामश्री द्विवेदी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 075089

11. यह कि **राकेश कुमार द्विवेदी पुत्र श्री राम सुमेर द्विवेदी** निवासी ग्राम – **पूरे धाराघरी दूबे,** मजरें– दलीलपुर, **पोस्ट– रेसी, तहसील– गौरीगंज, जनपद– अमेठी** उपरोक्त ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष व **श्रीमती रेखा द्विवेदी पत्नी श्री राकेश कुमार द्विवेदी** निवासी ग्राम – **पूरे धाराघरी दूबे,** मजरें– दलीलपुर, **पोस्ट– रेसी, तहसील– गौरीगंज, जनपद– अमेठी** उपरोक्त ट्रस्ट की प्रथम सचिव होगीं। अन्य ट्रस्टी सदस्यों को पद एवं अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव की आपसी सहमति से आवंटित होगें।

यह कि ट्रस्ट के उपरोक्त पदाधिकारी अध्यक्ष एवं सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा तथा वो व्यवस्थापक ट्रस्टी कहलायेगें। अध्यक्ष एवं सचिव का कभी चुनाव नहीं होगा और न ही कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति उनके चुनाव के लिए कोई कानूनी कार्यवाही करेगें। उपरोक्त पदाधिकारी अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग–पत्र दे सकते है तथा उनका रिक्त पद उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी को ही मिलेगा। यदि उक्त पदाधिकारियों में से कोई भी पदाधिकारी अपने पद से त्याग पत्र देता है तो व्यवस्थापकों को उसकी जगह नया पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं ट्रस्ट की सदस्यता से त्याग पत्र देता है और उसे अध्यक्ष व सचिव की सहमति से स्वीकार किया जायेगा ऐसी दशा में त्याग पत्र देने वाले सदस्य के समस्त अधिकार ट्रस्ट से खत्म हो जायेगें।

रेखा द्विवेदी

— 11 पर

12. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होगें :–

अध्यक्ष :– ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन के लिए सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।

उपाध्यक्ष :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना। किन्तु उपाध्यक्ष के द्वारा किये गये कार्य वही वैध होगें, जिनका अनुमोदन अध्यक्ष एवं सचिव से करा लिया जायेगा।

सचिव :– ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना, ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिए उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

उपसचिव :– सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के समस्त कार्य करना।

कोषाध्यक्ष :– ट्रस्ट की समस्त आय–व्यय का हिसाब रखना व उसको ऑडिट कराना। ट्रस्ट का समस्त व्यय जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा सत्यापित हों उनको अनुमोदित कर भुगतान कराना। ट्रस्ट के खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा या सचिव की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।

13. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे– न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन–देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेगें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिये आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी एवं अध्यक्ष एवं सचिव अपना आदेश प्रदान करेगें। यदि किसी विषय पर मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष व सचिव का निर्णय सर्वमान्य होगा।

—— 12 पर

शोभना द्विवेदी

14. यह कि अध्यक्ष व सचिव समय–समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यो के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्ध समिति तथा उसके कार्यकाल एवं नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्ध समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिये जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझें, प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रबन्धक समितियों के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होगें तथा ट्रस्टीगण की आपसी सहमति से इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।

15. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है, को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

16. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 (सात) दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण के प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

17. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय–समय पर व्यक्तिगत, वित्तीय संस्थाओं, फर्म बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को बंधक रखकर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए उधार/ऋण/बैंक गारण्टी लेने का अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिये ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों/ परिसम्पत्तियों को सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

18. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्ही भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्व स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या क्रय करने या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने तक ट्रस्ट की सम्पत्ति या भवन को क्रय–विक्रय करने, किराए पर देने, हस्तान्तरण करने का भी पूर्ण अधिकार होगा।

—— 13 पर

रश्मि द्विवेदी

19. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों की संख्या का 1/3 अथवा किन्ही तीन ट्रस्टियों का जो भी अधिक हो, होगा। यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नही हो सकती। ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में अध्यक्ष व सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।

20. यह की उक्त व्यवस्थापकों कों ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। उक्त व्यवस्थापकों की मृत्यु के बाद उनकी सन्तान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

21. यह कि सभी ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी होगें तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियॉ आदि रखी गयी है और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट की किसी भी प्रकार की हानि होने पर उनके द्वारा जानबूझकर की गई चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण न हुआ तो ट्रस्टीगण उसके लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होगें।

22. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता, ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैकिंग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते है। उक्त सभी बैंकिंग एकाउन्ट्स–खातों व अन्य सभी बैंकिंग खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा या सचिव की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।

23. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष व सचिव को होगा। अध्यक्ष एवं सचिव की मृत्यु के बाद उनके बच्चे क्रमशः उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव होगें और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

राकेश त्रिवेदी

— 14 पर

24. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

25. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाब्ता हिसाब रखेगें और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व आर्थिक चिठ्ठा बनायेगें जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका ऑडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

26. यह कि न्यासी/ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सकें। ट्रस्टी सदस्यों के मरणोंपरान्त उस वसीयत के अनुसार ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेगें। अध्यक्ष एवं सचिव उक्त संस्थापक ट्रस्टी के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट पर, ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार न होगा। प्रत्येक न्यासी/ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन कराया जायेगा। जो कि उक्त न्यासी/ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर न्यासी/ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी/ट्रस्टी तथा नवनियुक्त ट्रस्टी को एतद्द्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

27. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राइवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी भी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेंदार नही होगें।

28. यह कि ट्रस्ट डीड ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा पंजीकृत की जायेगी।

29. यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया। ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होगें तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का भी विघटन कर सकते है।

30. इस समय इस न्यास में किसी प्रकार कि अचल सम्पत्ति विनिहीत नहीं हैं।

—— 15 पर

उक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक ने हस्ताक्षर किये।

ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सूची

क	नम पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	श्री राकेश कुमार द्विवेदी पुत्र श्री राम सुमेर द्विवेदी उर्फ जगन्नाथ द्विवेदी	अध्यक्ष	ग्राम–पूरेघाराघरी,मजरे–दलीलपुर पोस्ट–रेसी,तहसील–गौरीगंज,जनपद अमेठी	समाजसेवक
2	श्री आशुतोष द्विवेदी पुत्र श्री राकेश कुमासर द्विवेदी	उपाध्यक्ष	ग्राम–पूरेघाराघरी,मजरे–दलीलपुर पोस्ट–रेसी,तहसील–गौरीगंज,जनपद अमेठी	कृषि
3	रेखा द्विवेदी पत्नी श्री राकेश कुमार द्विवेदी	सचिव	ग्राम–पूरेघाराघरी,मजरे–दलीलपुर पोस्ट–रेसी,तहसील–गौरीगंज,जनपद अमेठी	समाज सेविका
4	रशिका त्रिपाठी पत्नी अतुल कुमार त्रिपाठी	उपसचिव	490/5 ई0 नया नगर सुल्तानपुर	नौकरी
5	रैना पाण्डेय पत्नी अभिषेक पाण्डेय	कोषाध्यक्ष	ग्राम–खैादियां,पोस्ट–मनौली,तहसील–मुसाफिरखाना,जिला–अमेठी	गृहणी
6	अभिषेक पाण्डेय पुत्र श्री रमाशंकर	सदस्य	ग्राम–खैादियां,पोस्ट–मनौली,तहसील–मुसाफिरखाना,जिला–अमेठी	कृषि
7	कंचनलता पत्नी कैलाशनाथ पाण्डेय	सदस्य	एस0डी0एम0कालोनी अमेठी जनपद अमेठी	शिक्षक

प्रारूप कर्ता व टंकणकर्ता

राकेश द्विवेदी
राकेश द्विवेदी

तहरीर तारीख–25/08/2017

गवाह न0 1,

शिव कुमार पाण्डेय सुत ब्रम्हदत्त पाण्डेय
ग्राम- मनीपुर (वाह्यापुर) पो० सेंठा
गौरीगंज जि० अमेठी (उ०प्र०)

गवाह न0 2,

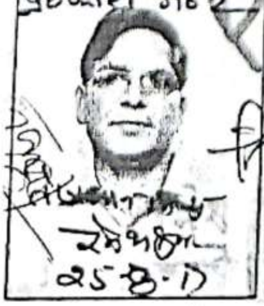

Ramnaresh S/o of [illegible]
ग्राम पूरे दत्त पूरे कालिका, गौरीगंज अमेठी
उ०प्र०

आज दिनांक **25/08/2017** को

बही सं. **4** जिल्द सं. **8**

पृष्ठ सं. **341** से **370** पर क्रमांक **15**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राकेश कुमार सिंह
उप-निबन्धक
गौरीगंज
25/8/2017